

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13017/15/2010-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, मई दिल्ली ।

दिनांक : 25 जून, 2010

### अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र और झारखण्ड सरकारों की सहमति से, श्री सन्तोष कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम-1 : 94) के मामले में "कूलिंग ऑफ" अवधि के अधित्याज को एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं और उनकी महाराष्ट्र संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में अन्तर्संवर्ग प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुमोदन प्रदान करती हैं ।

(आर. के. गुप्ता)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या 13017/15/2010-अ.भा.से.(1)

नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2010

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति अग्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उनके पत्र सं. डीईपी1010/सी.आर.103/2010/x, दिनांक 26.03.2010 के संबंध में ।
2. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची, उनके पत्र सं. 1/सी-207/2010 वे.ए. 2531, दिनांक 04.05.2010 के संबंध में ।
3. महालेखाकार, महाराष्ट्र, मुम्बई ।
4. महालेखाकार, झारखण्ड, रांची - इस अनुरोध के साथ कि अधिकारी का वेतन, प्रतिनियुक्ति की अवधि से आगे न आहरित किया जाए ।
5. श्री सन्तोष कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महा.94), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक वितरण, मंत्री के वैयक्तिक सचिव, अनुशासनात्मक और सेवा में व्यवधान के लिए हकदार होगा, यदि वह अनुमोदित प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर प्रभार नहीं सौंपता है (उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के सचिव द्वारा) ।
6. उप सचिव (एस.एम.), उनकी टिप्पणी सं. 37/18/2010-ई.ओ. (एस.एम.-I) के संबंध में, दिनांक 18.06.2010
7. गार्ड फाइल ।

(आर. के. गुप्ता)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

आंतरिक वितरण :-

ए.आई.एस.(II)/ए.आई.एस.(III)/अ.अधि.(सी.एम)/ई.ओ.(पी.आर.)/ई.ओ.(एस.एम.-I)  
एन.आई.सी. (अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए)